7 बिस्वा में वादी का 1/3 हिस्सा (नजरी नक्शा में A दर्शाया गया) व प्रतिवादी भैरुलाल का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी के रघु का 1/3 हिस्सा (नजरी नक्शे में D दर्शाया गया) रहेगा। उसी प्रकार खाते वादी एवं प्रतिवादी के 1 के के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करते हुए नजरी नक्शा के तरमीम किया जावे। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करे। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दफ्तर दाखिल हो। आपसी राजीनामा के प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा राजीनामा का हिस्सा रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)

20-2-18 वकील वादीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के पत्रावली रिकार्ड से तलब की गयी। पत्रावली पेश हुई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादीगण उपस्थित। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर बहस करनी चाही बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकील वादीगण ने कथन किया कि न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 8-3-18 को पारित किया गया। किन्तु निर्णय की पालना में डिक्री नहीं बनाई गयी जिसकी जानकारी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की प्रति लेने पर हुई है। जब तक निर्णय की पालना में डिक्री तरमीम नहीं की जाती तब तक उक्त निर्णय का कोई मतलब नहीं है ऐसी स्थिति में निर्णय की पालना में अब डिक्री बनाया जाना आवश्यक है अतः निर्णय की पालना में डिक्री तरमीम करवाई जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया गया। न्याय हित में वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत पत्र को स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 8-3-18 की पालना में O20 R6 → जा.दी. के तहत डिक्री तरमीम किये जाने का आदेश दिया जाता है तदनुसार निर्णय की पालना में डिक्री तरमीम की जावे। पत्रावली के फैसल शुमार की जाकर दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner